उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-29/2020/149/41-2020-77(बजट)/2018

लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2020

संख्या-07/2020/3903/41-2019-77(बजट)/2018 दिनांक 06 जनवरी, 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित बस स्टैण्ड के पुनर्विकास (बस स्टैण्ड जोन) के निर्माण कार्य के लिए अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-07/2020/3903/41-2019-77(बजट)/2018 दिनांक 06 जनवरी, 2020 के प्रस्तर-3 में अंकों में अंकित धनराशि रू0 2,38,93,000.00 **लाख** (रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख तिरान्नवे हजार मात्र) त्रुटिवश टंकित हो गया है, जबकि मात्र रू0 2,38,93,000.00 (रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख तिरान्नवे हजार मात्र) टंकित होना चाहिए था।

2. अत: शासनादेश संख्या-07/2020/3903/41-2019-77(बजट)/2018 दिनांक 06 जनवरी, 2020 के प्रस्तर-3 को संशोधित करते हुए अंकों में अंकित धनराशि के समक्ष टंकित शब्द लाख को विलोपित किया जाता है। शासनादेश दिनांक 06 जनवरी, 2020 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. अत: शासनादेश संख्या-07/2020/3903/41-2019-77(बजट)/2018 दिनांक 06 जनवरी, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2020/149(1)/41-2020-77(बजट)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in